

**फर्द अहकाम**

(नियम 26)

अज अदालत ..... सिकराय .....

..... बनाम .....

किस्म मुकदमा ..... मु० नं० .....

अ हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
--------	-----------------------------------	--

अतः प्रतिवादी गण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि आराजी ख.न. 648, 668, 800, 985, 1111 कुल किला पाँच कुल रकबा 0.73 हेक्टर बाकिरामा गेरिया तहसील सिकराय, जिला दौसा पर ताकैसलवात्तक पार्थीगण के कब्जे काश्तमें देखलान्दाजी नहीं करे। किसी प्रकार का निर्माण नहीं करे।

पत्रावली फेसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालयमें सुनाया गया।

31  
13/9/19.